न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)
पीठासीन अधिकारीः श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 09/2020

बउनवान

पन्नालाल उम्र 52 वर्ष पुत्र श्री हजारीलाल जाति धाकड़ निवासी सीमली तहसील बारां ज़िला बारां (राज0) **(अपीलांट)**

बनाम

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज0)

1. तोलाराम
2. सूरजमल
3. रामप्रसाद
4. तुलसीराम
5. बद्रीलाल
6. चौथमल पुत्रगण गोपीलाल जातिगण धाकड़ निवासीगण रानीहेड़ा तहसील बारां
7. जमनाबाई पुत्री गोपीलाल पत्नि ब्रह्मानन्द जाति धाकड़ निवासी धतूरिया तहसील अन्ता जिला बारां
8. नाथूलाल पुत्र किशनलाल जाति धाकड़ निवासी सीमली तहसील बारां
9. गोरधन पुत्र गोरू जाति धाकड़ निवासी सीमली तहसील बारां
10. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां **(रेंस्पोडेंट)**

अपील विरूद्ध इंतकाल नं. 564 दिनांक 10.12.2010 तहसीलदार बारां
अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :– 1. श्री चन्द्रप्रकाश यादव एडवोकेट **(अपीलांट)**
2. श्री मदनमोहन नागर एडवोकेट **(रेस्पो.क्रम 1 ता 7)**
3. श्री रमेन्द्र सिंह हाड़ा एडवोकेट **(रेस्पो.क्रम 8)**

निर्णय दिनांक 06.06.2022

अपीलांट की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट व रेस्पो. क्रम 1 ता 9 की शामिल खातेदारी की आराजीयात खसरा नंबर 183 रकबा 3.25 है. वाके माल सीमली तह0 बारां मुताबिक जमाबंदी संवत 2060 से 2063 गोपीलाल पुत्र देवीलाल व पन्नालाल पुत्र हजारीलाल व नाथूलाल पुत्र किशनलाल हिस्सा 2/3 बराबर गोरधन पुत्र गोरू हिस्सा 1/3 [illegible] सा0 देह दर्ज चली आ रही है। गोपीलाल पुत्र देवीलाल का देहान्त होने के बाद [illegible] नंबर 564 दिनांक 10.12.2010 तहसीलदार बारां द्वारा गलत दर्ज [illegible] आराजीयात में अपीलान्ट का पूर्व से ही हिस्सा 2/3 का 1/3 [illegible] हिस्सा निहित था परन्तु [illegible] नंबर 564 दर्ज करते समय अपीलांट का हिस्सा 2/9 के [illegible] पर 1/6 दर्ज [illegible]या तथा रेस्पो0 क्रम 8 नाथूलाल पुत्र किशनलाल का हिस्सा 2/9 से बढाकर 1/3 हिस्सा दर्ज कर दिया गया। इसलिये इन्तकाल नंबर 564 दिनांक 10.12.2010 वाके ग्राम सीमली निरस्त किया जाकर आराजी खसरा नंबर 183 रकबा 3.25 है. में अपीलांट का हिस्सा 2/9 दर्ज करते हुए पुनः इन्तकाल दर्ज करने के आदेश फरमावें।

जिला कलक्टर बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.06.28 11:34:12 IST
Reason: SelfAttested

अपील पेश होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पो. क्रम 1 ता 7 व रेस्पो. क्रम 8 जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड प्राप्त होने पर हमने प्रकरण बहस हेतु नियत किया।

दौरोन बहस अभिभाषक रेस्पो. क्रम 1 ता 7 अनुपस्थित रहे। हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो. क्रम 8 की सुनी।

सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर विचारण किया गया। न्याय हित में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम सीमली की आराजी खसरा नंबर 183 रकबा 3.25 है. में अपीलांट, रेस्पो. क्रम 1 ता 7 के पिता गोपीलाल एवं रेस्पो. क्रम 8 का 2/3 हिस्सा बराबर मुताबिक जमाबंदी संवत 2060–63 दर्ज है। रेस्पो. क्रम 1 ता 7 के पिता गोपीलाल पुत्र देवीलाल फौत होने पर खोले गये इन्तकाल क्रमांक 564 दिनांक 10.12.2010 में अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का हिस्सा 2/3 में से 1/3 अर्थात 2/9 के स्थान पर घटाकर 1/6 दर्ज कर दिया। जबकि उक्त आराजीयात में पूर्व से ही अपीलान्ट का 2/9 हिस्सा निहित था। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर ग्राम सीमली का नामान्तरकरण संख्या 564 दिनांक 10.12.2010 निरस्त किया जाकर उक्त आराजीयात में अपीलान्ट का हिस्सा 2/9 दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

दौराने बहस अभिभाषक रेस्पो. क्रम 8 ने कथन किया कि उक्त आराजीयात के मूल खातेदार माधो जी थे जिनके तीन वारिसान देवीलाल, गोरू व किशनलाल थे। उक्त आराजीयात इन तीनों के 1/3–1/3 हिस्से अनुसार दर्ज हुई। इस प्रकार देवीलाल के पुत्र गोपीलाल व हजारीलाल का उक्त आराजीयात में 1/3 में से 1/2 अर्थात् 1/6 हिस्सा बना। अपीलांट हजारीलाल का पुत्र है तथा अपीलांट का उक्त आराजीयात में 1/6 हिस्सा है। इसी अनुसार ग्राम सीमली का नामान्तरकरण संख्या 564 दिनांक 10.12.2010 दर्ज किया गया है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.06.28 11:34:12 IST
Reason: SelfAttested

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया व सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। ग्राम सीमली की जमाबंदी संवत 2044–47 खाता संख्या 20, संवत 2048–51 खाता संख्या 26, संवत 2052–55 खाता संख्या 26, संवत 2056–59 खाता संख्या 26 तथा संवत 2060–63 खाता संख्या 31 के अनुसार विवादित आराजीयात गोपीलाल पुत्र देवीलाल, पन्नालाल पुत्र हजारीलाल, नाथूलाल पुत्र किशनलाल हिस्सा 2/3 तथा गोरधन पुत्र गोरू का का हिस्सा 1/3 अंकित है। इसके अनुसार गोपीलाल, पन्नालाल व नाथूलाल प्रत्येक का उक्त आराजीयात में 2/9 हिस्सा बनता है। परन्तु नामान्तरकरण संख्या 564 दिनांक 10.12.2010 में गोपीलाल पुत्र देवीलाल के वारिसान का 1/6 हिस्सा, नाथू पुत्र किशनलाल का 1/3 हिस्सा तथा पन्नालाल पुत्र हजारीलाल का

हिस्सा गलत रूप से दर्ज किया गया है। अतः अपीलांट का विवादित आराजी में हिस्से 2/9 के स्थान पर 1/6 हिस्सा दर्ज कर अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य पाई जाती है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर ग्राम सीमली का नामान्तरकरण संख्या 564 दिनांक 10.12.2010 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार बारां को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट के वास्तविक हिस्से 2/9 अनुसार पुनः नये सिरे से नामान्तरकरण दर्ज करें।

निर्णय आज दिनांक 06.06.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर
जिला कलेक्टर, बारां
बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.06.28 11:34:12 IST
Reason: SelfAttested